रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 462] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 14, 2019/श्रावण 23, 1941
No. 462] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 14, 2019/SHRAVANA 23, 1941

IndiaCode

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 571(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 125 की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (8), उपधारा (9), उपधारा (10) और उपधारा (11) और धारा 124 की उपधारा (6) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 का और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) दूसरा संशोधन नियम, 2019 है।

(2) नियम 6(i), नियम 6(iv), नियम 6(v), नियम 6(vi), नियम 6(vii) और नियम 6(viii), को छोड़कर इन नियमों के उपबंध 20 अगस्त, 2019 को प्रवृत्त होंगे।

(3) नियम 6(i), नियम 6(iv), नियम 6(v), नियम 6(vi), नियम 6(vii) और नियम 6(viii), को छोड़कर इस नियम के उपबंध 20 सितंबर, 2019 को प्रवृत्त होंगे।

2. विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 में,–

(i) उपनियम (1) के खंड (घ) में "और इसमें ऐसी कोई अन्य इकाई शामिल है जिसके द्वारा किसी अधिनियम या इसका नियंत्रण करने वाले कानून के अनुसार विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में कोई निधि अंतरित करना अपेक्षित हो" शब्दो के पश्चात् "और अंतरक कंपनी की आस्तियों और देयताओं के संबंध में कोई अंतरिती कंपनी" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे:

(ii) उपनियम (1) के खंड (घक) में "अर्थात्" शब्द के स्थान पर "सहित" शब्द रखा जाएगा।

(iii) उपनियम (1) के खंड (छ) का लोप किया जाएगा।

3. मूल नियमों के नियम 3 में, -

(i) उपनियम 4 के खंड (क) में, "खंड (छ) के सिवाय" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा;

(ii) उपनियम 4 के खंड (ख) के, उप-खंड (ii) में, "राज्य सरकार" शब्दों के पश्चात् "केंद्रीय सरकार" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

4. मूल नियमों के नियम 5 में,–

(i) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा :-

"(1) अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (2) के खंड (क) से (ढ) के अधीन यथाउपबंधित निधि में कंपनियों द्वारा जमा करने के लिए अपेक्षित कोई रकम को प्ररूप संख्या आईपीएफ-1 में ब्यौरे सहित ऑनलाइन भेजा जाए जिसमें निधि में जमा किए जाने के लिए ऐसी रकम के देय होने वाली तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर प्राधिकरण को किए गए ऐसे अंतरण का विवरण समाविष्ट हो।";

(ii) उपनियम (2), उपनियम (3) और उपनियम (4) का लोप किया जाएगा;

(iii) उपनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"*(4क) ऐसी कंपनियां, जिन्होंने कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 205ग की उपधारा (2) के खंड (क) से खंड (घ) में विनिर्दिष्ट किसी रकम को विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि या केंद्रीय सरकार को अंतरित किया है, परंतु ब्यौरे दायर नहीं किया है या नियम 5 के उप-नियम (1) के अधीन यथा अपेक्षित एक्सेल टेम्पलेट के अलावा किसी अन्य फार्मेट में ब्यौरे दाख़र किया है, इस संशोधित नियम की अधिसूचना के साठ दिनों के भीतर नियम 5 के उप-नियम (1) में उल्लिखित ब्यौरा एक्सेल टेम्पलेट सहित प्ररूप सं. आईईपीएफ-1क में प्रस्तुत करेंगी।";*

(iv) उपनियम (6) के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ग) कंपनी द्वारा उपनियम (1) के अधीन दायर अभिलेख सभी समर्थक दस्तावेजों सहित उसी फार्मेट में रखे जाएंगे और प्राधिकरण को ऐसे अभिलेखों की जांच करने की शक्ति होगी।";

(v) उपनियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(8) प्रत्येक कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के पश्चात् साठ दिनों के भीतर या अधिनियम की धारा 96 के उपबंधों के अनुसार ऐसी बैठक आयोजित करने की तारीख, जो भी पहले हो और उसके पश्चात् सात वर्ष की अवधि की समाप्ति तक प्रत्येक वर्ष, अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट, अदावाकृत रकम की पहचान की जाएगी, वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख को अधिनियम की धारा 137 की उप-धारा (1) के अनुसार वार्षिक साधारण बैठक में स्वीकार किया जाने वाला लेखा पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा और उनकी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और प्राधिकरण की वेबसाइट या सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा, प्ररूप संख्या आईईपीएफ-2 के माध्यम से पिछले प्रत्येक सात वित्तीय वर्षों के लिए पृथक रूप से अदावाकृत और अदत्त रकम के बारे में अलग-अलग निम्नलिखित सूचना सहित ब्यौरे होगा, अर्थात्:-

(क) रकम प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों का नाम और पिछला ज्ञात पता;

(ख) रकम की प्रकृति;

(ग) ऐसी रकम जिसका प्रत्येक व्यक्ति हकदार है;

(घ) विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित करने की अंतिम तिथि; और

(ङ) आवश्यक समझी जाने वाली अन्य सूचना"।

5. मूल नियमों के नियम 6 में –

(i) उपनियम (1) के प्रथम परंतुक में "किसी प्रकार के लाभांश वारंट" शब्दों के पश्चात् "या ऐसे शेयरों के स्वामी के बैंक खाते में किसी प्रकार की लाभांश रकम जमा की गई है" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-नियम (1) के तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"**स्पष्टीकरण.-** सभी संशयों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि तारीख 07 सितंबर, 2016 को या उसके पूर्व विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि को अंतरित किए गए लाभांशों से संबंधित सभी शेयरों को कंपनी द्वारा विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि के नाम पर अंतरित किया जाएगा";

(iii) उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(5) ऐसा अंतरण करते समय, कंपनी द्वारा नियम 6 के उप-नियम (3) के खंड (ग) के अधीन की गई कारपोरेट कार्रवाई, जिसमें ऐसे अंतरण का विवरण निहित है, के तीस दिनों के भीतर प्ररूप संख्या आईईपीएफ-4 में प्राधिकरण को एक ब्यौरा भेजा जाएगा और कंपनी प्ररूप संख्या आईईपीएफ-4 में नियम 6 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन प्रकाशित सार्वजनिक सूचना की प्रति भी संलग्न करेगी।"।

(iv) उपनियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(7) कंपनी द्वारा उपनियम (5) के अधीन दायर ऐसे सभी विवरणों को सभी सहायक दस्तावेजों सहित उसी प्रारूप में रखा जाएगा और प्राधिकरण के पास ऐसे अभिलेखों की जांच करने की शक्ति होगी।"

(v) उपनियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(8) कंपनी द्वारा अधिकार के मुद्दे के अलावा बोनस शेयर, विभाजित शेयर, समेकित शेयर, अंश शेयर जैसे शेयरों पर अर्जित सभी लाभ को ऐसे डीमेट खाते में जमा किया जाएगा [जो प्राधिकरण को ऐसे अंतरण के ब्यौरे सहित कारपोरेट कार्रवाई के तीस दिनों के भीतर प्ररूप संख्या आईईपीएफ-4 में एक ब्यौरा भेजा जाएगा]"।

6. मूल नियमों के नियम 7 में –

(i) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) प्रस्तुतीकरण के पश्चात्, प्ररूप संख्या आईईपीएफ-5 को कंपनी के नोडल अधिकारी को दावे के सत्यापन के लिए ऑनलाइन प्रसारित किया जाएगा :

परंतु दावेदार द्वारा उपनियम (1) के अधीन प्ररूप संख्या आईईपीएफ-5 में आवेदन करने के पश्चात्, संबंधित कंपनी के नोडल अधिकारी को दावे के सत्यापन के लिए उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में दावेदार द्वारा सम्यक् हस्ताक्षरित प्ररूप संख्या आईईपीएफ-5 में यथाउल्लिखित क्षतिपूर्ति बांड, अग्रिम प्राप्तियां या अन्य कोई दस्तावेज सहित मूल भौतिक शेयर प्रमाणपत्र, मूल बांड, जमा प्रमाणपत्र, डिबेंचर प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो, भेजे जाएंगे";

(ii) उपनियम (2क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2क) प्रत्येक कंपनी, जिसके लिए निधि में रकम या शेयर जमा करना अपेक्षित हो या जिसने निधि में रकम जमा की है या शेयर अंतरित किए हैं, एक नोडल अधिकारी नामित करेगी, जो दावों के सत्यापन के उद्देश्य के लिए और विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण के साथ समन्वय हेतु या तो कंपनी का निदेशक या मुख्य वित्तीय अधिकारी या कंपनी सचिव होगा :

परंतु कंपनी दावों के सत्यापन के लिए और विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि के साथ समन्वय हेतु नोडल अधिकारी की सहायता के लिए एक या अधिक उप नोडल अधिकारी नियुक्त कर सकती है :

परंतु यह भी कि उप नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किसी अधिकारी के सभी कार्यों के लिए नोडल अधिकारी ही उत्तरदायी होंगे :

परंतु यह और कि यदि किसी कंपनी नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं कर पाती है, तो उस कंपनी के प्रत्येक निदेशक को नोडल अधिकारी समझा जाएगा, और वे इन नियमों की अपेक्षाओं का पालन करने में किसी प्रकार की विफलता के लिए उत्तरदायी होंगे।";

(iii) उपनियम (2क) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2ख) नोडल अधिकारी और उप नोडल अधिकारी के ब्यौरे जिसमें उनके पदनाम, डाक पता, दूरभाष और मोबाइल संख्या और कंपनी का प्राधिकृत ई-मेल आईडी दर्शाया गया हो, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण को इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्ररूप संख्या आईईपीएफ-2 में सूचित किया जाएगा और कंपनी द्वारा नोडल अधिकारी का नाम और उसका ई-मेल आईडी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा :

परंतु नोडल अधिकारी या उसके ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना प्राधिकरण को प्रपत्र संख्या आईईपीएफ-2 के माध्यम से ऐसे परिवर्तन के सात दिनों के भीतर बोर्ड के संकल्प सहित दी जाएगी।";

(iv) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(3) कंपनी द्वारा प्राधिकरण को दावे की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रपत्र संख्या आईईपीएफ-5 में ब्यौरे के सत्यापन के पश्चात् दावेदार द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों सहित ऑनलाइन सत्यापन रिपोर्ट भेजी जाएगी और कंपनी सभी मूल दस्तावेजों की स्कैन प्रति भी संलग्न करेगी जो दावेदार ने उसके नोडल अधिकारी द्वारा वास्तविक रूप से सम्यक् प्रमाणित कर प्रस्तुत की गई है और इसे ई-सत्यापन रिपोर्ट के साथ सम्यक् रद्द किए गए और प्रमाणित किए गए मूल वास्तविक शेयर प्रमाणपत्र या मूल बॉंड या जमा डिबेंचर प्रमाणपत्र के दोनों तरफ की स्कैन प्रति सहित भेजा जाएगा :

परंतु यदि कंपनी द्वारा दावा दायर किए जाने के तीस दिनों के भीतर ऑनलाइन सत्यापित रिपोर्ट नहीं भेजी गई तो कंपनी, प्रतिदिन पचास रुपये के अतिरिक्त शुल्क, जो अधिकतम दो हजार पांच सौ रुपये तक होगा, के भुगतान द्वारा ऐसा कर सकती है :

परंतु यह और कि कंपनी दावेदार द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल दस्तावेजों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगी और जब भी अपेक्षित हो, वह ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करेगी :

परंतु यह भी कि प्रपत्र संख्या आईईपीएफ-5 को फाइल करने की तारीख के साठ दिनों की समाप्ति के पश्चात्, प्राधिकरण द्वारा दस्तावेजों सहित सत्यापन रिपोर्ट की प्राप्ति न होने की स्थिति में, प्राधिकरण दावेदार और कंपनी के ई-मेल पते पर दावेदार और संबंधित कंपनी को पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर उत्तर देने के लिए सूचना भेजने के पश्चात्, प्रपत्र आईईपीएफ-5 को रद्द कर सकता है :

परंतु यह भी कि इन नियमों के अनुसार दावे की सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में, कंपनी और उसके नोडल अधिकारी पर अधिनियम में दिए उपबंधों के अनुसार दंड स्वरूप जुर्माना लगाया जाएगा।

स्पष्टीकरण.- (i) मूल भौतिक शेयर प्रमाणपत्र या मूल बांड या जमा या डिबेंचर प्रमाणपत्र पात्रता के साक्ष्य खो जाने या नष्ट होने जाने की स्थिति में, कंपनी और दावेदार द्वारा कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014, समय-समय पर जारी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीगत बाध्यता और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, दिशानिर्देश, प्रक्रिया एवं परिपत्र और इन नियमों की अनुसूची-III में विहित प्रक्रिया का पालन करेंगे और ई-सत्यापन रिपोर्ट के साथ उक्त नियमों या दिशानिर्देशों के अधीन यथाअपेक्षित सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाएगी। (ii) इसके अतिरिक्त कंपनी, ई-सत्यापन रिपोर्ट सहित इन नियमों के नियम 6 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के अधीन जारी शेयर प्रमाणपत्र के दोनों तरफ की स्कैन की गई प्रति भी संलग्न करेगी। (iii) दावेदार से मूल भौतिक शेयर प्रमाणपत्र या मूल बांड या जमा या डिबेंचर प्रमाणपत्र या पात्रता का साक्ष्य एकत्रित करने के लिए केवल कंपनी ही जिम्मेदार होगी और इसके किसी प्रकार के दुरूपयोग के लिए उत्तरदायी होगी।";

(v) उपनियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(7) यदि प्राधिकरण दावे के किसी आवेदन की जांच के पश्चात् अतिरिक्त सूचना मांगना आवश्यक समझे या ऐसे आवेदन या ई-प्ररूप या दस्तावेज को किसी भी मामले में त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण पाए, तो प्राधिकरण द्वारा दावेदार और कंपनी, जिसने ऐसा आवेदन या ई-प्ररूप या दस्तावेज दायर किया है, के ई-मेल द्वारा ऐसी सूचना मांगने या त्रुटि या अपूर्णता की सूचना दी जाएगी और उसे या उन्हें ऐसी सूचना प्रस्तुत करने या ऐसी त्रुटियों या अपूर्णताओं को संशोधित करने या ऐसे आवेदन या ई-प्रपत्र या दस्तावेज को ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर पुनः प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाएगा, और ऐसा न कर पाने की स्थिति में प्राधिकरण ऐसे दावे या ई-प्रपत्र सं आईईपीएफ-5 को रद्द कर सकता है :

परंतु यदि ऐसी सूचना या अपूर्णता के विषय में दावेदार से सूचना मांगी जाती है, तो वह पंद्रह दिनों के भीतर ई-प्रपत्र दायर करेगा और ऐसे मांगे गए दस्तावेजों को सम्यक् हस्ताक्षर कर दावे के सत्यापन के लिए संबंधित कंपनी के नोडल अधिकारी को उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में भेजेगा और कंपनी द्वारा संशोधित सत्यापन रिपोर्ट भेजी जाएगी :

परंतु यह भी कि यदि ऐसी सूचना या अपूर्णता के विषय में कंपनी से सूचना मांगी जाती है, तो कंपनी द्वारा संशोधित सत्यापन रिपोर्ट दायर की जाएगी और तीस दिनों के भीतर ऐसे मांगे गए दस्तावेज भेजे जाएंगे :

परंतु यह भी कि नियम 7के उप-निमय (3) के उपबंध इस उपनियम में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।"

(vi) उपनियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

"(8) यदि दावेदार रजिस्ट्रीकृत शेयरधारक का विधिक वारिस या वारिस या प्रशासक या नामित है, तो दावेदार प्रपत्र सं. आईईपीएफ-5 सहित इन नियमों की अनुसूची-II में दिए गए सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति की ऑनलाइन प्रस्तुति सुनिश्चित करेगा :

परंतु भौतिक रूप से रखी गई प्रतिभूतियों के खो जाने या नष्ट होने जाने की स्थिति में, दावेदार प्ररूप सं. आईईपीएफ-5 सहित इन नियमों की अनुसूची-III में दिए गए अतिरिक्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति की ऑनलाइन प्रस्तुति सुनिश्चित करेगा :

परंतु यह भी कि दावेदार संबंधित कंपनी के नोडल अधिकारी को सभी मूल दस्तावेज अपने सम्यक् हस्ताक्षर सहित उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में दावे के सत्यापन के लिए प्रस्तुत कराएगा";

(vii) उपनियम (9) में "ऐसे दावेदार का दावा" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"इसके ई-सत्यापन रिपोर्ट के माध्यम से"

परंतु प्राधिकरण द्वारा ऐसे अनुरोध के सत्यापन के अध्यधीन कंपनी की ई-सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर हस्तांतरण या अंतरण के ऐसे अनुरोध का निपटान किया जाएगा।";

(viii) उपनियम (10) का लोप किया जाएगा।

(ix) उपनियम (11) में खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ख) दावेदार द्वारा किए गए किसी कपटपूर्ण दावे को अधिनियम की धारा 447 के आशय के भीतर कपट के रूप में समझा जाएगा और तद्नुसार दावेदार इसके लिए उत्तरदायी होगा।

(ग) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अनुसरण में जारी किसी प्रतिभूति या किसी शेयर वारंट या कूपन का छलपूर्वक स्वामी होने का दावा करता है और विधिक स्वामी को देय किसी ऐसी किसी प्रतिभूति या ब्याज या किसी ऐसे वारंट या कूपन को प्राप्त करने या प्राप्त करने की कोशिश के लिए दावा दायर करता है, तो वह व्यक्ति अधिनियम की धारा 57, धारा 447 और धारा 448 के अधीन दंड का भागी होगा।"।

7. नियम 8 के उपनियम (1) और उपनियम (2) का लोप किया जाएगा।

8. इस अनुसूची की संख्या अनुसूची-I होगी और अनुसूची-I के पश्चात् दी गई संख्या के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

अनुसूची-II

प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को रजिस्टर करने हेतु प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

क. भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के लिए दस्तावेजी अपेक्षाएं

1. यदि शेयरों को नामांकन सहित एकल रूप में रखा गया है:

1.1 नामिति द्वारा सम्यक् हस्ताक्षरित हस्तांतरण अनुरोध प्रपत्र;

1.2 सम्यक् प्रमाणित मृत्यु प्रमाणपत्र की मूलप्रति या प्रतिलिपि;

1.3 पेन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति;

1.4 मूल शेयर प्रमाणपत्र;

1.5 नामिति का कोई अन्य सरकारी आईडी साक्ष्य।

2. जहां शेयरों को नामांकन के बिना एकल रूप से रखा गया हो, पैरा 1 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के अतिरिक्त निम्नलिखित दस्तावेज अपेक्षित हैं:

2.1 सभी विधिक वारिसों से उचित गैर-न्यायिक स्टांप पत्र में प्रतिभूतियों के विधिक स्वामित्व की पहचान और दावे के साथ शपथपत्र :

परंतु यदि विधिक वारिस(सों) या दावेदार(रों) का नाम वारिस प्रमाणपत्र या विल का प्रोबेट या प्रशासन पत्र में हो तो, ऐसे विधिक वारिस(सों) या दावेदार(रों) से केवल शपथपत्र ही पर्याप्त होगा।

2.2 आवेदन की तारीख तक 2,00,000 रुपये (दो लाख रुपये मात्र) प्रति जारीकर्ता कंपनी की प्रतिभूति के मूल्य के लिए, निम्नलिखित एक या एक से अधिक दस्तावेज अपेक्षित होंगे;

(क) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के अनुसार यथाप्रयोज्य उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या विल का प्रोबेट या प्रशासन पत्र या न्यायालय की डिक्री।

(ख) उपरोक्त यथाउल्लिखित दस्तावेजों के न होने पर,

(i) मृत शेयरधारक के सभी विधिक वारिसों द्वारा मान्य सभी विधिक वारिसों से अनापत्ति प्रमाणपत्र जिसमें ऐसे हस्तांतरण पर आपत्ति न जताई गई हो (या) सम्यक् नोटरीकृत पारिवारिक निपटान विलेख की प्रति।

और

(ii) एसटीए/जारीकर्ता कंपनी की क्षतिपूर्ति की गारंटी हेतु समुचित गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर बनाया गया क्षतिपूर्ति बॉण्ड।

2.3 आवेदन की तारीख को प्रति जारीकर्ता कंपनी 2,00,000 रु. (दो लाख रुपये मात्र) से अधिक प्रतिभूतियों के मूल्य के लिएः वारिस प्रमाण-पत्र या विल का प्रोबेट या प्रशासनिक पत्र या न्यायालय डिग्री, जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के संदर्भ में लागू हो।

3. यदि शेयर नामनिर्देशन सहित संयुक्त रूप से धारित है तोः

3.1 नामनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित अंतरण अनुरोध प्ररूप।

3.2 सभी संयुक्त धारकों के सम्यक रूप से अनुप्रमाणित मृत्यु प्रमाण-पत्र (प्रमाण-पत्रों) की मूल प्रति या प्रतिलिपि।

3.3 पैन कार्ड की स्वः अनुप्रमाणित प्रति।

3.4 मूल शेयर प्रमाण-पत्र।

3.5 नामनिर्देशिती का अन्य कोई सरकारी पहचान-पत्र।

4. जहां शेयर नामनिर्देशन के बिना संयुक्त रूप से धारित हैं वहां पैरा 3 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के अतिरिक्त निम्नलिखित दस्तावेज अपेक्षित हैं:

4.1 प्रतिभूतियों के विधिक स्वामित्व की पहचान और दावे हेतु सभी विधिक वारिसों से समुचित गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर शपथ-पत्र।

परंतु यह कि यदि विधिक वारिस (वारिसों) या दावेदार (दावेदारों) का नाम उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या विल के प्रोबेट या प्रशासन पत्र में उल्लिखित है तो ऐसे विधिक वारिस (वारिसों) या दावेदार (दावेदारों) से मात्र शपथ-पत्र ही पर्याप्त होगा।

4.2 आवेदन की तारीख को प्रति जारीकर्ता कंपनी 2,00,000 रु. (दो लाख रुपये मात्र) तक के मूल्य की प्रतिभूतियों के लिए, निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक दस्तावेज अपेक्षित हैं:

(क) उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या विल का प्रोबेट या प्रशासन पत्र या न्यायालय की डिक्री, जो भी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के संदर्भ में लागू हो।

(ख) ऊपर (क) में उल्लिखित दस्तावेजों के अभाव में,

(i) मृतक शेयर धारक(धारकों) के सभी विधिक वारिसों द्वारा हस्तांतरित ऐसे पारेषण पर आपत्ति दर्ज नहीं करने संबंधी अनापत्ति प्रमाण- पत्र या सम्यक रूप से नोटरीकृत पारिवारिक बंदोबस्त विलेख की प्रति।

और

(ii) एसटीए या जारीकर्ता कंपनी की क्षतिपूर्ति की गारंटी हेतु समुचित गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर बनाया गया क्षतिपूर्ति बंधपत्र

4.3 आवेदन की तारीख को प्रति जारीकर्ता कंपनी 2,00,000 रु. (दो लाख रुपये मात्र) से अधिक प्रतिभूतियों के मूल्य के लिएः उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या विल का प्रोबेट या प्रशासन पत्र या न्यायालय की डिक्री, जो भी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के संदर्भ में लागू हो।

ख. डीमैट ढंग में धारित प्रतिभूतियों के लिए अपेक्षित दस्तावेज :

1 जहां शेयर नामनिर्देशन के साथ एकल रूप से धारित है :

1.1 नामनिर्देशिती द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित पारेषण अनुरोध प्ररूप।

IndiaCode

1.2 सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल प्रति या प्रतिलिपि।

1.3 पैन कार्ड की स्व-अनुप्रमाणित प्रति।

1.4 निक्षेपागार सहभागी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित संव्यवहार विवरण की प्रति।

1.5 नामनिर्देशिती का कोई अन्य सरकारी पहचान पत्र।

2. जहां शेयर नामनिर्देशन के बिना एकल रूप से धारित है वहां पैरा 1 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के अतिरिक्त निम्नलिखित दस्तावेज अपेक्षित हैं:

2.1 प्रतिभूतियों के विधिक स्वामित्व की पहचान और दावे हेतु सभी विधिक वारिसों से समुचित गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर दिया गया शपथ-पत्र :

परंतु यह कि यदि विधिक वारिस (वारिसों) अथवा दावेदार (दावेदारों) का नाम उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या विल के प्रोबेट या प्रशासन पत्र में उल्लिखित है तो ऐसे विधिक वारिस (वारिसों) या दावेदार (दावेदारों) से मात्र शपथ-पत्र ही पर्याप्त होगा।

2.2 आवेदन की तारीख को प्रति जारीकर्ता कंपनी 2,00,000 रु. (दो लाख रुपये मात्र) तक के मूल्य की प्रतिभूतियों के लिए, निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक दस्तावेज अपेक्षित है :

(क) उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या विल का प्रोबेट या प्रशासन पत्र या न्यायालय की डिक्री, जो भी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के संदर्भ में लागू हो।

(ख) ऊपर (क) में उल्लिखित दस्तावेजों के अभाव में,

(i) मृतक शेयर धारक(धारकों) के सभी विधिक वारिसों, द्वारा निष्पादित ऐसे पारेषण पर आपत्ति दर्ज नहीं करने संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र या सम्यक रूप से नोटरीकृत पारिवारिक बंदोबस्त विलेख की प्रति।

और

(ii) एसटीए या जारीकर्ता कंपनी की क्षतिपूर्ति की गारंटी हेतु समुचित गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर बनाया गया क्षतिपूर्ति बन्धपत्र

2.3 आवेदन की तारीख को प्रति जारीकर्ता कंपनी 2,00,000 रु. (दो लाख रुपये मात्र) से अधिक प्रतिभूतियों के मूल्य के लिए: उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या विल का प्रोबेट या प्रशासन पत्र या न्यायालय की डिक्री जो भी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के संदर्भ में लागू हो।

3. जहां शेयर नाम निर्देशन के साथ संयुक्त रूप से धारति है :

3.1 नामनिर्देशिती द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित पारेषण अनुरोध प्ररूप।

3.2 सभी संयुक्त धारकों के मृत्यु प्रमाण-पत्र (प्रमाण-पत्रों) की सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित मूल प्रति या प्रतिलिपि।

3.3 पैन कार्ड की स्व-अनुप्रमाणित प्रति।

3.4 निक्षेपागार सहभागी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित संव्यवहार की प्रति।

3.5 नामनिर्देशिती का कोई अन्य सरकारी पहचान पत्र।

4. जहां शेयर नामनिर्देशन के बिना संयुक्त रूप से धारित हैं वहां ऊपर पैरा 3 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के अतिरिक्त निम्नलिखित दस्तावेज अपेक्षित हैं:

4.1 प्रतिभूतियों के विधिक स्वामित्व की पहचान और दावे हेतु सभी विधिक वारिसों से समुचित गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर दिया गया शपथ-पत्र :

परंतु यह कि यदि विधिक वारिस (वारिसों) अथवा दावेदार (दावेदारों) का नाम उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या विल के प्रोबेट या प्रशासन पत्र में उल्लिखित है तो ऐसे विधिक वारिस (वारिसों) अथवा दावेदार (दावेदारों) से मात्र शपथ-पत्र ही पर्याप्त होगा।

4.2 आवेदन की तारीख को प्रति जारीकर्ता कंपनी 2,00,000 रु. (दो लाख रुपये मात्र) तक के मूल्य की प्रतिभूतियों के लिए, निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक दस्तावेज अपेक्षित है; अर्थात् :-

(क) उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या विल का प्रोबेट या प्रशासन पत्र या न्यायालय की डिक्री, जो भी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के संदर्भ में लागू हो।

(ख) ऊपर (क) में उल्लिखित दस्तावेजों के अभाव में,

IndiaCode

(i) मृतक शेयर धारक(धारकों) के सभी विधिक वारिसों, द्वारा निष्पादित ऐसे पारेषण पर आपत्ति दर्ज नहीं करने संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र या सम्यक रूप से नोटरीकृत पारिवारिक बंदोबस्त विलेख की प्रति।

और

(ii) एसटीए या जारीकर्ता कंपनी की क्षतिपूर्ति की गारंटी हेतु समुचित गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर बनाया गया क्षतिपूर्ति बन्धपत्र।

4.3 आवेदन की तारीख को प्रति जारीकर्ता कंपनी 2,00,000 रु. (दो लाख रुपये मात्र) से अधिक प्रतिभूतियों के मूल्य के लिए: उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या विल का प्रोबेट या प्रशासन पत्र या न्यायालय की डिक्री, जो भी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के संदर्भ में लागू हो।

अनुसूची-3

<u>भौतिक रूप में धारित प्रतिभूतियों के खो जाने की दशा में प्राधिकरण में जमा करवाए जाने वाले दस्तावेज</u>।

1. एफआईआर/पुलिस शिकायत की नोटरीकृत प्रति जिसमें प्रतिभूति धारक की सूचना, स्थावर संपदा (घृति) के ब्यौरे, फोलियो संख्या और शेयर प्रमाण-पत्र की सुभिन्न संख्याएं अंतर्विष्ट हों।
2. निष्पादन की तारीख को शेयरों के बाजार मूल्य के समान मूल्य के प्रतिभूति शपथ-पत्र के साथ प्रतिभुओं की पहचान का नोटरी द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित सबूत, जैसे पैन कार्ड।
3. व्यक्ति, जिसके नाम मूल शेयर प्रमाण-पत्र जारी किए जा रहे हैं, द्वारा नोटरी पब्लिक से सम्यक रूप से अनुप्रमाणित अपेक्षित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर प्रतिभूति धारक द्वारा यह क्षतिपूर्ति बंधपत्र कि उसने अंतर्ग्रस्त शेयरों को बेचा नहीं है/निपटान नहीं किया है या इस रीति से ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे तीसरे पक्ष का कोई हित सृजित होता है।
4. यदि शेयरों का बाजार मूल्य 10,000 रु. से अधिक है तो राष्ट्र व्यापी परिचालन वाले अंग्रेजी भाषा के कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में और कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय वाले स्थान पर वहाँ के एक क्षेत्रीय भाषा के दैनिक समाचार पत्र में जारी विज्ञापन की प्रति।

अनुसूची-4

<u>दावों का निपटान करते समय अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया</u>

कंपनी दावेदार की प्रामाणिकता और हकदारी का सत्यापन आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई अन्य सरकारी पहचान पत्र सबूत, हस्ताक्षर और फोटो का मिलान आदि के माध्यम से करने के लिए उत्तरदायी होगी। कंपनी ऐसे दस्तावेजों का सत्यापन करेगी, जो अपेक्षित हैं और प्ररूप आईईपीएफ-5 में प्रगणित हैं, तथा दावेदार द्वारा जमा कराए गए मूल दस्तावेजों को अपने पास रखेगी। कंपनी, प्राधिकरण को इसके द्वारा की गई ई-फाइलिंग के अनुसार, दावों में अंतर्ग्रस्त रकम और शेयरों का सत्यापन करने के लिए उत्तरदायी होगी। कंपनी ई-सत्यापन की रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी।

2. प्राधिकरण दावों का निपटान करते समय निम्नलिखित निर्देशात्मक प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगा:

(i) प्ररूप सं. आईईपीएफ-5 में दी गई समस्त सूचना की संपूर्णता

(ii) ई-प्ररूप में दी गई सूचना का दावे के साथ संलग्न स्कैन किए गए दस्तावेजों से मिलान।

(iii) शपथ-पत्र और अन्य समर्थक दस्तावेजों अर्थात् नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र में अधिसूचना, विवाह प्रमाण-पत्र, विभिन्न दस्तावेजों, शेयर प्रमाण-पत्रों आदि में नाम में परिवर्तन या फेर-फार के लिए अन्य पहचान सबूत आदि।

(iv) विभिन्न दस्तावेजों, शेयर प्रमाण-पत्रों में दिए गए पते में परिवर्तन या फेर-फार के लिए शपथ-पत्र और अन्य समर्थक दस्तावेज, शेयर प्रमाण-पत्र या प्ररूप सं. आईईपीएफ-4 अथवा अन्य स्थानों में अभिलिखित पता और वर्तमान पता।

(v) स्टांप अधिनियम के अनुसार दावेदार के नाम पर समुचित मूल्य के स्टांप पेपर पर क्षतिपूर्ति।

(vi) दावेदार के पैन ब्योरे का क्लाइंट मास्टर लिस्ट (सीएमएल) और सरकारी डाटा बेस के साथ सत्यापन।

(vii) भौतिक प्रतिभूति से संबंधित दावे की दशा में, कंपनी द्वारा ई-प्ररूप सं. आईईपीएफ-5 के साथ संलग्न प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति का अधिप्रमाणन।

(viii) डीमैट खाता संख्या, दावेदार का नाम, पैन, पते का सीएमएल से सत्यापन और मिलान।

(ix) यदि कंपनी से अदावाकृत उचंत खाते से शेयरों का अंतरण हुआ है, तो अदावाकृत उचंत खाते से सीएमएल का मिलान। कंपनी के अदावाकृत उचंत खाते के संव्यवहार के ब्यौरे का सत्यापन। ऐसे प्रत्येक निवेशक, जिसके शेयरों का अदावाकृत उचंत खाते से अंतरण किया गया है, का विवरण कभी भी निक्षेपागार से मांगा जा सकता है।

(x) दावाकर्ता की बकाया रकम के ब्यौरों का ई-प्ररूप आईईपीएफ-1 या आईएनवी-1 या आईईपीएफ-1क से सत्यापन किया जाएगा। यदि एमसीए प्रणाली में आंकड़े उपलब्ध नहीं है तो प्रतिदाय में से आनुपातिक कटौती की जा सकती है।"।

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, प्राधिकरण, दावे के निपटान के लिए अपेक्षानुसार दावेदार या कंपनी से कोई अन्य दस्तावेज, स्पष्टीकरण आदि मांग सकता है।

9. मूल नियमों में, आईईपीएफ-1, आईईपीएफ-2, आईईपीएफ-4 और आईईपीएफ-5 प्ररूपों के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे; अर्थात् :-

"प्ररूप सं. आईईपीएफ-1

[विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के नियम 5(1) के अनुसरण में]

सत्यमेव जयते

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में जमा की गई रकम का विवरण

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी

ब्यौरों के लिए अनुदेश किट देखें

टिप्पण 1 – कृपया इस ई-प्ररूप को अपलोड करने पर सृजन होने वाली पावती में यथाउल्लिखित 'विनिधानकर्ता वार ब्यौरे अपलोड करने की प्रक्रिया' का पालन करें।

1. (क) *कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)/
 बैंक कारपोरेट पहचान संख्या (बीसीआईएन)
 (ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थान संख्या (जीएलएन)
2. (क) कंपनी/बैंक का नाम
 (ख) कंपनी/बैंक के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता
 (ग) *कंपनी/बैंक का ई-मेल आईडी
3. * निधि में जमा की जाने वाली रकम (रुपए में)
4. *कंपनी के संदत्त लाभांश खाते में रकम के अंतरण की तारीख
5. *निधि में जमा की गई रकम के ब्यौरे

क्र.सं.	**विशिष्टियां**	**रकम (रुपये में)**	**तारीख जिस तक निधि में रकम जमा कराई जानी चाहिए**
(क)	कंपनियों के असंदत्त लाभांश खातों में रकम		
(ख)	किन्हीं प्रतिभूतियों के आबंटन के लिए कंपनियों द्वारा प्राप्त आवेदन रकम और प्रतिदाय के लिए देय रकम		
(ग)	कंपनियों के पास परिपक्व निक्षेप		
(घ)	कंपनियों के पास परिपक्व डिबेंचर		
(ङ)	उपर्युक्त खंड (ख) से (घ) में निर्दिष्ट रकम पर प्रोद्भूत ब्याज		
	(i) प्रतिदाय के लिए देय आवेदन रकम		
	(ii) कंपनियों के पास परिपक्व निक्षेप		

IndiaCode

	(iii) कंपनियों के पास परिपक्व डिबेंचर		
(च)	बोनस शेयर जारी करने, विलयन और समामेलन से उत्पन्न भिन्नात्मक शेयरों की बिक्री से आगम		
(छ)	अधिमानी शेयरों की मोचन रकम		
(ज)	अनुदान और संदान		
(झ)	अन्य		
	कुल		

6.* **वह वित्तीय वर्ष जिससे यह रकम संबंधित है**

संलग्नक

संलग्नकों की सूची

1. ऐच्छिक संलग्नक, यदि कोई हो।

घोषणा

मै, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तारीख.....*(दिन/मास/वर्ष) की संकल्प संख्या*..... के माध्यम से इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने के लिए प्राधिकृत किया गया हूं।

मैं अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, यह घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप की विषय वस्तु और इससे संबंधित अनुषंगी मामलों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप और इसके संलग्नकों में दी गई सभी सूचना सत्य, सही और पूर्ण है और किसी भी तात्विक सूचना को छिपाया नहीं गया है।

* द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएं

* पदनाम.....

* निदेशक का डीआईएन; या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का पैन; या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या; या बैंक के प्राधिकृत व्यक्ति का पैन

टिप्पणः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और धारा 449 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें मिथ्या कथन और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपाबंध किया गया है।

(उपांतरित करें) (जांच करें) (पूर्व संवीक्षा) (प्रस्तुत करें)

इस ई-प्ररूप को इलेक्ट्रोनिक ढंग से तथा कंपनी द्वारा दिए गए ब्यौरे की सत्यता के आधार पर आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा फाइल में रखा गया है।

IndiaCode

प्ररूप सं. आईईपीएफ-1क
[विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के नियम 5(4क) के अनुसरण में]

सत्यमेव जयते

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में जमा की गई रकम का विवरण

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी
ब्यौरे के लिए अनुदेश किट देखें

टिप्पण 1 – कृपया इस ई-प्ररूप को अपलोड करने पर सृजन होने वाली पावती में यथाउल्लिखित 'विनिधानकर्ता वार ब्यौरे अपलोड करने की प्रक्रिया' का पालन करें।

1. (क) *कंपनी की कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)/
 बैंक कारपोरेट पहचान संख्या (बीसीआईएन)
 (ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थान संख्या (जीएलएन)
2. (क) कंपनी/बैंक का नाम
 (ख) कंपनी/बैंक के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता
 (ग) *कंपनी/बैंक का ई-मेल आईडी
3. प्ररूप जिसके माध्यम से भुगतान किया गया था
 प्ररूप -1 के माध्यम से किया गया भुगतान प्ररूप 1 आईएनवी के माध्यम से किया गया भुगतान अन्य
4. प्ररूप- 1/1 आईएनवी का एसआरएन
 (आज्ञापक यदि भुगतान इलैक्ट्रोनिक माध्यम से किया गया था)
5. निधि में किए गए भुगतान के संबंध में *चालान संख्या/ सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएएन)
6. निधि में रकम के भुगतान की तारीख
7. *निधि में जमा की गई रकम
8. भुगतान का माध्यम चालान भुगतान (नकद, चैक, डिमांड ड्राफ्ट) ऑनलाईन भुगतान
9. निधि में जमा की गई रकम के ब्यौरे

क्र.सं.	विशिष्टियां	रकम (रु. में)	तारीख जिस तक निधि में रकम जमा कराई जानी चाहिए
(क)	कंपनियों के असंदत्त लाभांश खातों में रकम		
(ख)	किन्हीं प्रतिभूतियों के आबंटन के लिए कंपनियों द्वारा प्राप्त आवेदन रकम और प्रतिदाय के लिए देय रकम		
(ग)	कंपनियों के पास परिपक्व निक्षेप		
(घ)	कंपनियों के पास परिपक्व डिबेंचर		
(ङ)	उपर्युक्त खंड (ख) से (घ) में निर्दिष्ट रकम पर प्रोद्भूत ब्याज		
	i. प्रतिदाय के लिए देय आवेदन रकम		
	ii. कंपनियों के पास परिपक्व निक्षेप		
	iii. कंपनियों के पास परिपक्व डिबेंचर		
(च)	बोनस शेयर जारी करने, विलयन और समामेलन से उत्पन्न भिन्नात्मक शेयरों की बिक्री से आगम		

IndiaCode

(छ)	अधिमानी शेयरों मोचन रकम		
(ज)	अनुदान और संदान		
(झ)	अन्य		
	कुल		

10.* **वह वित्तीय वर्ष जिससे यह रकम संबंधित है**

संलग्नक

संलग्नकों की सूची

1.* चालान की प्रति

2. ऐच्छिक संलग्नक, यदि कोई हो

घोषणा

मैं, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तारीख.....*(दिन/मास/वर्ष) की संकल्प संख्या*..... के माध्यम से इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने के लिए प्राधिकृत किया गया हूं।

मैं अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, यह घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप की विषय वस्तु और इससे संबंधित अनुषंगी मामलों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप और इसके संलग्नकों में दी गई सभी सूचना सत्य, सही और पूर्ण है और किसी भी तात्विक सूचना को छिपाया नहीं गया है।

* द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएं

* पदनाम.....

* निदेशक का डीआईएन; या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का पैन; कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या; या बैंक के प्राधिकृत व्यक्ति का पैन

टिप्पणः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और धारा 449 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें मिथ्या कथन और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपाबंध किया गया है।

(उपांतरित करें) (जांच करें) (पूर्व संवीक्षा) (प्रस्तुत करें)

इस ई-प्ररूप को इलेक्ट्रोनिक ढंग से तथा कंपनी द्वारा दिए गए ब्यौरे की सत्यता के आधार पर आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा फाइल में रखा गया है।

प्ररूप संख्या आईईपीएफ-2 **[विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के नियम 5(8) और 7 (2ख) के अनुसरण में]**	सत्यमेव जयते	**अदावाकृत और असंदत्त रकम का विवरण तथा नोडल अधिकारी के ब्यौरे**

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी

ब्यौरे के लिए अनुदेश किट देखें

IndiaCode

टिप्पण 1- कृपया इस ई-प्ररूप के अपलोड होने पर सृजन होने वाली पावती में यथा-उल्लिखित 'विनिधानकर्ता-वार ब्यौरे अपलोड करने की प्रक्रिया' का पालन करें।

टिप्पण-2 -सभी *चिन्हित खानों को भरा जाना आज्ञापक है।

1. फाइलिंग का प्रयोजन

अदावाकृत और असंदत्त रकम का विवरण
नोडल अधिकारी की नियुक्ति
उप-नोडल अधिकारी की नियुक्ति
केवल नोडल अधिकारी के ब्यौरे अद्यतन करें
केवल उप-नोडल अधिकारी का अद्यतन / समाप्ति ब्यौरा

2. (क) *कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)/
बैंक कारपोरेट पहचान संख्या (बीसीआईएन)
(ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थान संख्या (जीएलएन)

3. (क) कंपनी/बैंक का नाम
(ख) कंपनी/ बैंक के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता
(ग) *कंपनी/ बैंक का ई-मेल आईडी

3क.*नोडल अधिकारी के ब्यौरे

(क) प्रथम नाम
(ख) मध्य नाम
(ग) अंतिम नाम
(घ) पिता का प्रथम नाम
(ड) पिता का मध्य नाम
(च) पिता का अंतिम नाम
(छ) जन्म तिथि (दिन/मास/वर्ष)
(ज) पैन
(झ) पदनाम (ञ) लिंग
(ट) आधिकारिक डाक का पता
पंक्ति I
पंक्ति II
शहर
राज्य पिन कोड
(ठ) दूरभाष (एसटीडी/आईएसडी कोड सहित)
(ड) मोबाईल सं.
(ढ) ई-मेल आईडी
(ण) बोर्ड के संकल्प तारीख

3ख. उप-नोडल अधिकारियों की संख्या

क्या आप उप-नोडल अधिकारी का पद छोडना चाहते हैं?

***उप-नोडल अधिकारियों के ब्यौरे**

(क) प्रथम नाम
(ख) मध्य नाम

IndiaCode

(ग) अंतिम नाम
(घ) पिता का प्रथम नाम
(ङ) पिता का मध्य नाम
(च) पिता का अंतिम नाम
(छ) जन्म तिथि (दिन/मास/वर्ष)
(ज) पैन
(झ) पदनाम
(ञ) लिंग
(ट) आधिकारिक डाक का पता
पंक्ति I
पंक्ति II
शहर
राज्य पिन कोड
(ठ) दूरभाष (एसटीडी/आईएसडी कोड सहित)
(ड) मोबाईल नं.
(ढ) ई-मेल आईडी
(ण) बोर्ड के संकल्प तारीख
4. (क) *समाप्त वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष -7)
(ख) *वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तारीख अथवा देय तारीख जो पहले हो (दिन/मास/वर्ष)
5. क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ रजिस्ट्रीकृत है हां नहीं

6. कंपनी के लघु शेयरधारकों की संख्या.....

7. कंपनी के लघु निक्षेपकर्ताओं की संख्या.....

8. चालू वर्ष सहित पूर्ववर्ती सात वर्ष के लिए अदावाकृत और असंदत्त रकम का ब्यौरा

क्र.सं.	विशिष्टियां	गत सात वित्तीय वर्षों की प्रत्येक के लिए पृथक रूप से कंपनी के पास पड़ी हुई अदावाकृत और संदत्त रकम							
		वि.व.- 1	वि.व.-2	वि.व.-3	वि.व.-4	वि.व.-5	वि.व.-6	वि.व.-7	कुल (योग रकम)
1.	कंपनियों के असंदत्त लाभांश खातों में रकम								
(क)	कंपनियों के असंदत्त लाभांश खातों में रकम के लिए अंतर्निहित शेयरों की संख्या								
(ख)	वर्ष के दौरान असंदत्त लाभांश खातों से कंपनी द्वारा प्रतिदाय की रकम								
2.	धारा 38 की उप								

IndiaCode

	धारा (4) के अधीन प्राप्त रकम								
3.	**प्राप्त आवेदन रकम और वापस करने के लिए देय रकम**								
4.	**परिपक्व जमाओं की रकम**								
(क)	**वर्ष के दौरान परिपक्व जमाओं से कंपनी द्वारा प्रतिदाय की रकम**								
5.	**परिपक्व डिबेंचर की रकम**								
(क)	**वर्ष के दौरान परिपक्व डिबेंचर से कंपनी द्वारा प्रतिदाय की रकम**								
6.	**उपरोक्त खंड (3) से (5) में निर्देशित रकम पर उपार्जित ब्याज**								
(i)	**प्रतिदाय के लिए देय आवेदन रकम**								
(ii)	**कंपनियों के पास परिपक्व जमाएं**								
(iii)	**कंपनियों के पास परिपक्व डिबेंचर**								
7.	**बोनस शेयरों के जारी करने, आमेलन और समामेलन से उत्पन्न भिन्नात्मक शयरों की बिक्री से आय**								
8.	**अधिमानी शेयरों की बिमोचन रकम**								
9.	**अन्य**								
	कुल (योग)								

IndiaCode

टिप्पण: (1) वित्तीय वर्ष -7 उपरोक्त 4(क) में यथा-विनिर्दिष्ट चालू वित्तीय वर्ष है।

(2) वित्तीय वर्ष-1 में विनिर्दिष्ट रकम आगामी वित्तीय वर्ष में आईईपीएफ में वित्तीय वर्ष में जमा किए जाने के लिए देय रकम निर्दिष्ट करती है।

(3) उस विशिष्ट वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अदावाकृत/असंदत्त रकम इंगित करते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पृथक रूप से रकम दी जानी है।

9. उपरोक्त 4(क) में यथानिर्दिष्ट वित्तीय वर्ष के दौरान आईईपीएफ के पास शेष रकम कंपनी के शेयरों पर घोषित लांभाश की रकम।

10. उक्त 4(क) में यथानिर्दिष्ट वित्तीय वर्ष के दौरान आईईपीएफ के पास शेष रकम कंपनी के शेयरों पर घोषित (नियम 6 (8) के अनुसार) कोई अन्य लाभ। _____

संलग्नक **संलग्नक की सूची**

1. नोडल अधिकारी के नियुक्ति के लिए *बोर्ड संकल्प

2. ऐच्छिक संलग्नक, यदि कोई हो।

घोषणा

मैं बोर्ड के निदेशक द्वारा तारीख*..... (दिन/मास/वर्ष) की संकल्प संख्या*..... के माध्यम से इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने के लिए प्राधिकृत किया गया हूं।

मैं अपनी जानकारी के अनुसार यह घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप की विषय वस्तु और इससे संबंधित अनुषंगी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके नियमों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप और इसके संलग्नकों मे दिए गए सभी तथ्य सत्य, सही और पूर्ण हैं और किसी भी सूचना को छिपाया नहीं गया है।

IndiaCode

* द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएं।

* पदनाम

* निदेशक का डीआईएन; या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का पैन; सचिव की सदस्यता संख्या; या बैंक के प्राधिकृत व्यक्ति का पैन

टिप्पणः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और धारा 449 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें मिथ्या कथन और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपाबंध किया गया है।

(उपांतरित करें) (जांच करें) (पूर्व संवीक्षा) (प्रस्तुत करें)

इस ई-प्ररूप को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से तथा कंपनी द्वारा दिए गए ब्यौरे की सत्यता के आधार पर आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा फाइल में रखा गया है।

प्ररूप संख्या आईईपीएफ-4 **[विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण *(लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के नियम 6(5) और 6(8) के अनुसरण में]***	सत्यमेव जयते	**विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि को अन्तरित शेयरों का विवरण**

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी

ब्यौरे के लिए अनुदेश किट देखें

टिप्पण 1- कृपया इस ई-प्ररूप के अपलोड होने पर सृजन होने वाली पावती में निर्दिष्ट अनुसार 'विनिधानकर्ता-वार विशिष्टियां को अपलोड करने का प्रक्रिया' का पालन करें।

1. (क) *कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)

 (ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जी एल एन)

2. (क) कंपनी/बैंक का नाम

 (ख) कंपनी/बैंक के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

 (ग) *कंपनी/बैंक का ई-मेल आईडी

3. (क)* आईईपीएफ खाते में अंतरित किए गए शेयरों की कुल सांकेतिक रकम
 (ख)* अंतरित शेयरों की कुल संख्या

4. फाइलिंग का उद्देश्य
 1.*प्ररूप आईआईपीएफ-1/1-आईएनवी/आईईपीएफ-4
 2. आईईपीएफ में अंतरित शेयरों पर उपार्जित लाभों की घोषणा की तारीख
 3. आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमेट खाते पर कारपोरेट कार्रवाई की तारीख

5. *वित्तीय वर्ष जिससे यह रकम संबंधित है

संलग्नक **संलग्नकों की सूची**

1. *समाचार पत्र विज्ञापन की प्रति;
2. ऐच्छिक संलग्नक, यदि कोई हो

घोषणा

मैं बोर्ड के निदेशक द्वारा तारीख* (दिन/मास/वर्ष) की संकल्प संख्या*..... के माध्यम से इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने के लिए प्राधिकृत किया गया हूं।

मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, मैं यह घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप की विषय वस्तु और इससे संबंधित अनुषंगी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके नियमों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप और इसके संलग्नकों मे दिए गए सभी तथ्य सत्य, सही और पूर्ण है और किसी भी सूचना को छिपाया नहीं गया है।

* डिजिटल हस्ताक्षर किया जाए

* पदनाम

* निदेशक की डीआईएन; या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ की स्थायी खाता संख्या; कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या

टिप्पणः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और धारा 449 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें मिथ्या कथन और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपाबंध किया गया है।

(उपांतरित करें) (जांच करें) (पूर्व संवीक्षा) (प्रस्तुत करें)

IndiaCode

इस ई-प्ररूप को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से तथा कंपनी द्वारा दिए गए ब्यौरे की सत्यता के आधार पर आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा फाइल में रखा गया है।

प्ररूप संख्या आईईपीएफ-5

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 की उप-धारा (3) और विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण *(लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के नियम 7(1) के अनुसरण में]*

सत्यमेव जयते

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) से संदत्त रकम और शेयरों के दावे के लिए प्राधिकरण को आवेदन

1. आवेदक का ब्यौरा

(क) *आवेदक की श्रेणी वैयक्तिक अन्य

(ख) *प्रथम नाम

(ग) मध्य नाम

(घ) *अंतिम नाम

(ङ) *पिता का प्रथम नाम

(च) *पिता का मध्य नाम

(छ) *पिता का अंतिम नाम

(ज) *जन्म की तारीख

(झ) *संस्था का नाम

(ञ) *निगमन की तारीख

(ट) *आवेदक का पता

(ठ) दूरभाष संख्या

(ड) *मोबाइल संख्या

(ढ) *ई-मेल आईडी

(ण) मोबाइल नंबर के लिए ओटीपी प्रविष्ट करें

(त) ई-मेल आईडी के लिए ओटीपी प्रविष्ट करें

(थ) *आधार संख्या या पासपोर्ट/ओसीआई/पीआईओ कार्ड नंबर (एनआरआई/विदेशी नागरिकों के मामले में)

(द) *आवेदक का पैन

2. उस कंपनी का ब्यौरा जिससे रकम देय है

(क) *कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)

(ख) कंपनी का नाम

(ग) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

(घ) कंपनी का ई-मेल आईडी

3. क्या यह मामला आईईपीएफ नियम, 2016 के नियम 7(8) और 7(9) के अंतर्गत कवर किया गया है

oहां oनहीं

(क) मूल प्रतिभूति धारक का नाम

(ख) प्रतिभूति धारक के साथ दावेदार का संबंध

(ग) नामिति संख्या/विधिक वारिस/उत्तराधिकारी / प्रशासक / अन्य धारक

IndiaCode

लाभार्थी का नाम

i. _____

ii. _____

iii. _____

4 दावे का प्रकार

Oरकम Oरकम और शेयर

5. दावा किए गए शेयरों का ब्यौरा (एक कंपनी के लिए एक से अधिक पन्ने जोड़े जा सकते हैं)
पन्ने की संख्या

धारक का प्रकार	पन्ना संख्या/ पूर्ण डीमेट खाता संख्या जिससे आईईपीएफ में अंतरण किया गया है	शेयर का प्रकार	शेयरों की संख्या

6. दावा ब्यौरा

*दावों की संख्या

प्रतिभूतियों/जमाओं का वर्षवार ब्यौरा जिनके लिए दावा किया गया है

दावे का प्रकार	धारक का प्रकार	पन्ना संख्या/ पूर्ण डीमेट खाता संख्या जिसमें से आईईपीएफ को हस्तांतरण किया गया	दावे की रकम	वित्तीय वर्ष जिससे दावा संबंधित है	प्राप्ति न किए जाने के कारण

7. प्रतिदाय खाते का ब्यौरा
बैंक खाते का ब्यौरा जिसमें प्रतिदाय रकम जमा की जाएगी

बैंक खाता संख्या बैंक का नाम आईएफएससी कोड बैंक शाखा

डीमेट खाता संख्या जिसमें शेयर जमा किए जाएंगे।

8. (क) *दावेदार के आधार कार्ड की प्रति और

यदि संयुक्त धारक हैं तो सभी संयुक्त धारकों के आधार कार्ड की प्रति _____(ब्राउज़)

(ख) *पासपोर्ट की प्रति, ओसीआई और पीआईओ कार्ड सं. विदेशियों/एनआरआई के मामले में _____(ब्राउज़)

(ग) *दावेदार के डीमेट खाते की ग्राहक मास्टर सूची _____(ब्राउज़)

(घ) *पात्रता का प्रमाण (बांड/डिबेंचर्स/नियत जमा प्राप्तियां/शेयर का प्रमाण-पत्र/ब्याज अधिपत्र/लाभांश अधिपत्र, आवेदन संख्या/लेनदेन का विवरण इत्यादि) _____(ब्राउज़)

(ङ) मृत्यु प्रमाण-पत्र की नोटेरीकृत प्रति _____(ब्राउज़)

(च) नोटेरीकृत उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र/प्रोबेट/विल _____(ब्राउज़)

IndiaCode

(छ) अन्य धारक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र _____(ब्राउज़)

(ज) क्षतिपूर्ति बंध-पत्र, सम्यक् रूप से नोटेरीकृत _____(ब्राउज़)

(झ) प्रतिभूति के रूप में शपथ-पत्र _____(ब्राउज़)

(ञ) अन्य _____(ब्राउज़)

घोषणा

मैं यह घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप की विषय-वस्तु और इससे संबंधित अनुषंगी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके नियमों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप और इसके संलग्नकों में दिए गए सभी तथ्य सत्य, सही और पूर्ण है और किसी भी सूचना को छिपाया नहीं गया है।

मैं घोषणा करता हूं कि शेयर और/अथवा इस पन्ने के अंतर्गत दावा की गई रकम और/अथवा इस कंपनी की ओर से किसी पूर्ववर्ती अवसर पर किसी वित्तीय वर्ष के लिए मैंने कोई दावा नहीं किया है/दावा नहीं करूंगा।

मैं समझता हूं कि मैं, दावेदार हूं और इस प्ररूप ऑनलाइन में प्रतिदाय दावा फाइल करने के बाद, दावे के लिए सत्यापन आरंभ करने हेतु "आईईपीएफ प्राधिकरण से प्रतिदाय के लिए दावा" चिह्नित एक लिफाफे में इसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में कंपनी के नोडल अधिकारी (आईईपीएफ) के लिए नीचे निर्धारित संलग्नक भेजूंगा।

1. पूर्ण रूप से भरा हुआ दावा प्ररूप जिसमें दावेदार के हस्ताक्षर हों, और यदि संयुक्त धारक शामिल हों तो प्ररूप पर, प्ररूप प्रस्तुत करने के संलग्नकों के साथ संयुक्त धारकों के द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिएं
2. दावा प्ररूप आईईपीएफ-5 उद्धारण करने के पश्चात् अभिस्वीकृति की प्रति
3. दावा प्ररूप आईईपीएफ-5 उद्धारण करने के पश्चात् स्वतः उत्पन्न क्षतिपूर्ति बंधन की प्रति उचित स्टांप के शुल्क के भुगतान के साक्ष्य सहित दावेदारों के हस्ताक्षर हों (स्टांप शुल्क के लिए सहायक अनुदेशिका देखें)
4. अवधिपूर्ण जमा या डिबेंचर या बोंड या शेयरों का जिनका (भौतिक रूप में) दावा किय गया है, के मामले में मूल प्रमाण-पत्र/शेयरों के अतिरिक्त शेयरों को प्रस्तुत करना
5. रद्द चैक की प्रति
6. किसी संयुक्त धारक की मृत्यु के मामले में मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।
7. अन्य ऐच्छिक दस्तावेज, (यदि कोई हों)

टिप्पण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के उपाबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जो उल्लेख यह उल्लेख करता है कि-

"अधिनियम में यथाउपबंधित के सिवाय यदि कोई विवरणी, रिपोर्ट, प्रमाण पत्र, वित्तीय ब्यौरे, विवरणी, ब्यौरे या अन्य दस्तावेज जो आवश्यक हो या अधिनियम के किसी उपाबंधों के उद्देश्य के लिए या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत कोई व्यक्ति कथन करता है,-

(क) जो कि तात्विक विवरणों में झूठा है जिसे झूठा होने का ज्ञान है; या

(ख) जो कोई तात्विक तथ्य को छुपाता है जिसका तात्विक होने का ज्ञान है, वह धारा 447 के अधीन उत्तरदायी होगा।"

[फा. सं. 05/02/2019-आईईपीएफ]

मनोज पांडेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में संख्या सा.का.नि. 854(अ) तारीख 5 सितंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 178(अ) तारीख 28 फरवरी, 2017 तारीख 13 अक्तूबर, 2017 की सा.का.नि. 1267(अ), सा.का.नि. 472(अ) तारीख 22.05.2018 और तारीख 01 मई, 2019 सा.का.नि. 343(अ) द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2019

G.S.R. 571(E).—In exercise of the powers conferred under sub-sections (1), (2), (3), (4), (8), (9), (10) and (11) of section 125 and sub-section (6) of section 124 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Investor Education and Protection FundAuthority (Accounting, Audit, Transfer and Refund)Second Amendment Rules, 2019.

(2)The provisions of these rules, Other than rule 6 (i), 6 (iv), 6 (v), 6(vi), 6(vii) and 6 (viii), shall come into force with effect from the 20th day of August, 2019.

(3) The provisions of rule 6 (i), 6 (iv), 6 (v), 6(vi), 6(vii) and 6 (viii), shall come into force with effect from the 20thday of September, 2019.

2. In the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, (hereinafter referred to as the principle rules), in rule 2,-

(i) in sub-rule (1), in clause (d), after the words "and includes any other entity which is required to transfer any fund to the Investor Education and Protection Fund in accordance with any Act or statute governing it" , the words "and any transferee company in respect of the assets and liabilities of transferor company" shall be inserted ;

(ii) in sub-rule (1), in clause (da), for the word "namely", the word "including" shall be substituted ;

(iii) in sub-rule (1), clause (g) shall be omitted.

3. In the principal rules, in rule 3,-

(i) in sub-rule (4), in clause (a), the words, brackets and letter "except clause (g)" shall be omitted;

(ii) in sub-rule (4), in clause (b), in sub-clause (ii), after the words "State Government", the words " the Central Government" shall be inserted.

4. In the principal rules, in rule 5,-

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) Any amount required to be credited by the companies to the Fund as provided under clauses (a) to (n) of sub-section (2) of section 125 of the Act shall be remitted online along with a Statement in Form No. IEPF 1 containing details of such transfer to the Authority within a period of thirty days of such amounts becoming due to be credited to the Fund**." ;**

(ii) sub-rules (2), (3) and (4) shall be omitted ;

(iii) After sub-rule (4),the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(4A) The companies which have transferred any amount referred to in clauses (a) to (d) of sub-section (2) of section 205C of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) to Investor Education and Protection Fund or Central Government, but have not filed the statement or have filed the statement in any format other than in excel template, as required under sub-rule (1) of rule 5, shall submit details mentioned in sub-rule (1) of rule 5 in Form No. IEPF – 1A along with excel template within sixty days of notification of these amended rule.";

(iv) in sub-rule (6), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

"(c) The company shall maintain the record filed under sub – rule (1) in the same format along with all supporting documents and the Authority shall have the powers to inspect such records.";

(v) for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(8) Every company shall within a period of sixty days after the holding of Annual General Meeting or the date on which it should have been held as per the provisions of section 96 of the Act, whichever is earlier and every year thereafter till completion of the seven years period, identify the unclaimed amounts, as referred in sub-section (2) of section 125 of the Act, as on the date of closure of financial year the account of which are to be adopted in the Annual General Meeting as per sub-section (1) of section 137 of the Act, separately furnish and upload on its own website and also on website of Authority or any other website as may be specified by the Government, a statement or information of unclaimed and unpaid amounts separately for each of the previous seven financial years through Form No. IEPF-2, containing following information, namely:-

(a) the names and last known addresses of the persons entitled to receive the sum;

(b) the nature of amount;

(c) the amount to which each person is entitled;

(d)the due date for transfer into the Investor Education and Protection Fund; and

(e) such other information as may be considered necessary".

5. In the Principle rules, in rule 6-

(i) in sub-rule (1), in the first proviso, after the worlds "any dividend warrant", the words "or any dividend amount has been credited to bank account of the owner of such shares" shall be inserted;

(ii) in sub-rule (1), after third proviso, the following Explanation shall be inserted, namely:-

"Explanation.- For removal of all doubts, it is hereby clarified that all shares in respect of which dividend has been transferred to Investor Education and Protection Fund on or before the 7th September 2016, shall also be transferred by the company in the name of Investor Education and Protection Fund";

(iii) for sub-rule (5) the following sub-ruleshall be substituted, namely:-

"(5) While effecting such transfer, the company shall send a statement to the Authority in Form No. IEPF-4 within thirty days of the corporate action taken under clause (c) of sub-rule (3) of rule 6 containing details of such transfer and the company shall also attach a copy of the public notice published under clause (a) of sub-rule (3) of rule 6 in Form No IEPF-4.".

(iv) for sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(7)The company shall maintain all such statements filed under sub – rule (5) in the same format along with all supporting documents and the Authority shall have the powers to inspect such records.";

(v) for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(8) All benefits accruing on such shares like bonus shares, split, consolidation, fraction shares and the like except right issue shall also be credited to such DEMAT account [by the company which shall send a statement to the Authority in Form No. IEPF-4 within thirty days of the corporate action containing details of such transfer.]".

6. In the Principle rules, in rule 7,

(i) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
"(2) Upon submission, FormNo. IEPF-5 shall be transmitted online to the Nodal Officer of the company for verification of claim:

Provided that the claimant after making an application in Form No. IEPF-5 under sub rule 1, shall send original physical share certificate, original bond, deposit certificate, debenture certificate, as the case may be, along with Indemnity Bond, Advance Receipts, any other document as enumerated in Form No. IEPF-5, duly signed by him, to the Nodal Officer of the concerned company at its registered office for verification of the claim.";

(ii) for sub-rule (2A), following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2A) Every company which is required to credit amounts or shares to the fund or has deposited the amount or transferred the shares to the Fund shall nominate a Nodal Officer, who shall either be a Director or Chief financial Officer or Company Secretary of the company, for the purposes of verification of claims and coordination with Investor Education and Protection Fund Authority:

Provided that a company may appoint one or more Officer as Deputy Nodal Officer to assist the Nodal Officer for the purposes of verification of claim and for coordination with Investor Education and Protection Fund Authority:

Provided further that the Nodal Officer shall be solely liable for all actions of any officer appointed as Deputy Nodal Officer:

Provided also that in case a company fails to appoint Nodal Officer, every director of the company shall be deemed to be nodal officer and be liable for any failure to comply with requirement of these rules.";

(iii) after sub-rule (2A), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(2B) The details of the Nodal Officerand Deputy Nodal Officerduly indicating his or her designation, postal address, telephone and mobile number and company authorized e-mail ID shall be communicated to the Investor Education and Protection Fund Authority in Form No. IEPF – 2 within fifteen days from the date of publication of these rules and the company shall display the name of Nodal Officer and his e-mail ID on its website:

IndiaCode

Provided that any change in the Nodal Officer or his details shall be communicated to the Authority through Form No. IEPF-2 within seven days of such change along with board resolution thereof.";

(iv) for sub-rule (3), the following sub-ruleshall be substituted, namely:-

"(3) The company shall, within thirty days from the date of receipt of claim, send an online verification report to the Authority after verification of details in Form No. IEPF-5 in the format specified by the Authority along with all the documents submitted by the claimant and shall attach the scanned copy of all the original documents submitted by the claimant in physical form duly certified by its Nodal Officer alongwith the e-verification report along with a scanned copy of both sides of original physical share certificate or original bond or deposit or debenture certificate/s duly cancelled and certified:

Provided that if the online verification report is not sent by the company within thirty days of filing of claim, the company may do so by paying additional feeof fifty rupees for every day subject to maximum of two thousand and five hundred rupees:

Provided further that the company shall be liable to maintain the original documents submitted to it by the claimant and shall produce such documents whenever required:

Provided also that in case of non-receipt of verification report along with documents by the Authority after the expiry of sixty days from the date of filing of Form No. IEPF-5, the Authority may reject Form No. IEPF-5, after sending a communication to the claimant and the concerned company, on the e-mail address of the claimant and the company, to furnish response within a period of fifteen days:

Provided also that for failure to submit verification report of the claim in accordance with these rules, the company and its Nodal Officer shall be punishable as per the provisions of the Act.

Explanation.-In case (i) loss of original physical share certificate or original bond or deposit or debenture certificate or proof of entitlement, the company and the claimant shall follow the procedure as laid down in the Companies (Share Capital and Debenture) Rules, 2014 , theSecurities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, guidelines, procedures and circulars issued from time to time and Schedule IIIof these rules and attach certified copies of all documents as may be required under the said rules or guidelines with the e-verification report; (ii) In addition, the company shall attach a scanned copy of both sides of share certificate generated under clause (d) of sub-rule (3) of rule 6 of these rules along with the e-verification report;(iii) The Company shall be solely responsible for collecting original physical share certificate or original bond or deposit or debenture certificate or proof of entitlement from the claimant and shall be liable for any misuse thereof.**";**

(v) for sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(7) Where the Authority, on examining any application for claim, finds it necessary to call for further information or finds such application or e-form or document to be defective or incomplete in any respect, the Authority shall give intimation of such information called for or defects or incompleteness, by e-mail on the e-mail address of the claimant and the company, which has filed such application or e-form or document, directing him or it to furnish such information or to rectify such defects or incompleteness or to re-submit such application or e-Form or document within fifteen days from the date of receipt of such communication, failing which the Authority may reject the claim or e-form No. IEPF-5:

Provided that if such information or incompleteness is called from the claimant, he shall file the e-form and shall send such documents as called for within fifteen days, duly signed by him, to the Nodal Officer of the concerned company at its registered office for verification of the claim and company shall send a revised verification report:

Provided further that if any such information or incompleteness is called from the company, the company shall file the revised verification report and shall send such documents as called for within thirty days:

Provided alsothat the provisions of sub-rule (3) of rule 7 shall apply *mutatis mutandis* to this sub-Rule.";

(vi) forsub-rule (8), the following shall be substituted, namely:-

"(8) In case, claimant is a legal heir or successor or administrator or nominee of the registered share holder, the claimant shall ensure to submission of self-attested scanned copy of all documents detailed in Schedule II of these rules online along with the Form No. IEPF-5:

Provided that in case of loss of securities held in physical form, he has to ensure to submission of self-attested scanned copy of additional documents detailed in Schedule III of these rules online along with the Form No. IEPF-5:

Provided further that the claimant shall submit in original all these documents duly signed by him, to the Nodal Officer of the concerned company at its registered office for verification of the claim.";

(vii) in sub-rule (9), after the words "the claim of such claimant", the following shall be inserted, namely:-

"through its e-verification report:

Provided that the authority shall dispose such request of transfer or transmission based on the e-verification report of the company subject to verification of such request.";

(viii) sub-rule (10) shall be omitted.

(ix) in sub-rule (11), after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-

"(b)Any fraudulent claim by the claimant shall be deemed to be fraud within the meaning of section 447 of the Act and the claimant shall be liable accordingly.

(c) If any person deceitfully personates an owner of any security or of any share warrant or coupon issued in pursuance of this Act and thereby files any claim to obtain or attempts to obtain any such security or interest or any such warrant or coupon due to the lawful owner, he shall be punishable under sections 57, 447 and 448 of the Act.".

7. in rule 8, sub rules (1) and (2) shall be omitted.

8. The SCHEDULE shall be numbered as Schedule I and after Schedule I as so numbered, the following Schedules shall be inserted, namely:-

Schedule II

Documents to be submitted to the Authority to register transmission of securities

A. Documentary requirement for securities held in physical mode

1. Where the shares are held singly with nomination:
 1.1. Duly signed transmission request form by the nominee.
 1.2. Original or copy of death certificate duly attested.
 1.3. Self-attested copy of PAN card.
 1.4. Original share certificate(s).
 1.5. Any other government ID proof of the nominee.

2. Where the shares are held singly without nomination, the following documents in addition to the documents specified at paragraph 1 are required:

 2.1 Affidavit from all the legal heirs made on appropriate non-judicial stamp paper- to the effect of identification and claim of legal ownership to the securities:

 Provided that in case the legal heir(s) or claimant(s) is named in the succession certificate or probate of will or Letter of Administration, an Affidavit from such legal heir(s) or claimant(s) alone would be sufficient.

 2.2 For value of securities up to Rs. 2,00,000 (Rupees Two lakh only) per issuer company as on date of application, one or more of the following documents:

 (a) Succession certificate or probate of will or letter of administration or court decree, as may be applicable in terms of Indian Succession Act, 1925. (39 of 1925)

 (b)In the absence of the documents as mentioned at (a) above,

(i). No objection certificate from all legal heir(s) executed by all the legal heirs of the deceased holder not objecting to such transmission (or) copy of Family Settlement Deed duly notarized

and

(ii). An Indemnity bond made on appropriate non-judicial stamp paper – indemnifying the STA or Issuer Company.

2.3 For value of securities more than Rs. 2,00,000 (Rupees Two lakh only) per issuer company as on date of application: Succession certificate or probate of will or letter of administration or court decree, as may be applicable in terms of Indian Succession Act, 1925. (39 of 1925)

3. Where the shares are held jointly with nomination:

3.1 Duly signed transmission request form by the nominee.

3.2 Original or copy of death certificate(s) of all the joint holders duly attested

3.3 Self-attested copy of PAN card.

3.4 Original share certificate(s).

3.5 Any other government ID proof of the nominee.

4. Where the shares are held jointly without nomination, the following documents in addition to the documents specified at paragraph 3 are required:

4.1 Affidavit from all the legal heirs made on appropriate non-judicial stamp paper- to the effect of identification and claim of legal ownership to the securities.

Provided that in case the legal heir(s) or claimant(s) is named in the succession certificate or probate of will or Letter of Administration, an Affidavit from such legal heir(s) or claimant(s) alone would be sufficient.

4.2 For value of securities uptoRs. 2,00,000 (Rupees Two lakh only) per issuer company as on date of application, one or more of the following documents:

(a) Succession certificate or probate of will or letter of administration or court decree, as may be applicable in terms of Indian Succession Act, 1925.(39 of 1925)

(b) In the absence of the documents as mentioned at (a) above,

(i). No objection certificate from all legal heir(s) executed by all the legal heirs of the deceased holder(s) not objecting to such transmission (or) copy of Family Settlement Deed duly notarized

and

(ii). An Indemnity bond made on appropriate non-judicial stamp paper – indemnifying the STA or Issuer Company.

4.3 For value of securities more than Rs. 2,00,000 (Rupees Two lakh only) per issuer company as on date of application:Succession certificate or probate of will or letter of administration or court decree, as may be applicable in terms of Indian Succession Act, 1925. (39 of 1925)

B. Documentary requirement for securities held in DEMAT mode

1. Where the shares are held singly with nomination:
 1.1. Duly signed transmission request form by the nominee.
 1.2. Original or copy of death certificate duly attested
 1.3. Self-attested copy of PAN card.
 1.4. Copy of transaction statement duly certified by Depository Participant.
 1.5. Any other government ID proof of the nominee.

2. Where the shares are held singly without nomination, the following documents in addition to the documents specified at paragraph 1 are required:

2.1 Affidavit from all the legal heirs made on appropriate non-judicial stamp paper- to the effect of identification and claim of legal ownership to the securities.

Provided that in case the legal heir(s) or claimant(s) is named in the succession certificate or probate of will or Letter of Administration, an Affidavit from such legal heir(s) or claimant(s) alone would be sufficient.

2.2 For value of securities uptoRs. 2,00,000 (Rupees Two lakh only) per issuer company as on date of application, one or more of the following documents:

(a) Succession certificate or probate of will or letter of administration or court decree, as may be applicable in terms of Indian Succession Act, 1925.

(b) In the absence of the documents as mentioned at (a) above,

(i) No objection certificate from all legal heir(s) executed by all the legal heirs of the deceased holder not objecting to such transmission (or) copy of Family Settlement Deed duly notarized

and

(ii) An Indemnity bond made on appropriate non-judicial stamp paper – indemnifying the STA or Issuer Company.

2.3 For value of securities more than Rs. 2,00,000 (Rupees Two lakh only) per issuer company as on date of application:Succession certificate or probate of will or letter of administration or court decree, as may be applicable in terms of Indian Succession Act, 1925. (39 of 1925)

3. Where the shares are held jointly with nomination:

3.1 Duly signed transmission request form by the nominee.

3.2 Original or copy of death certificate(s) of all the joint holders duly attested

3.3 Self-attested copy of PAN card.

3.4 Copy of transaction statementduly certified by Depository Participant.

3.5 Any other government ID proof of the nominee.

4. Where the shares are held jointly without nomination, the following documents in addition to the documents specified at paragraph 3 above are required:

4.1 Affidavit from all the legal heirs made on appropriate non-judicial stamp paper- to the effect of identification and claim of legal ownership to the securities:

Provided that in case the legal heir(s) or claimant(s) is named in the succession certificate or probate of will or Letter of Administration, an Affidavit from such legal heir(s) or claimant(s) alone would be sufficient.

4.2 For value of securities uptoRs. 2,00,000 (Rupees Two lakh only) per issuer company as on date of application, one or more of the following documents, namely:-

(a) Succession certificate or probate of will or letter of administration or court decree, as may be applicable in terms of Indian Succession Act, 1925. (39 of 1925)

(b) In the absence of the documents as mentioned at (a) above,

(i) No objection certificate from all legal heir(s) executed by all the legal heirs of the deceased holder(s) not objecting to such transmission (or) copy of Family Settlement Deed duly notarized

and

(ii) An Indemnity bond made on appropriate non-judicial stamp paper – indemnifying the STA or Issuer Company.

4.3 For value of securities more than Rs. 2,00,000 (Rupees Two lakh only) per issuer company as on date of application:Succession certificate or probate of will or letter of administration or court decree, as may be applicable in terms of Indian Succession Act, 1925. (39 of 1925)

Schedule III

Documents to be submitted to the Authority in case of loss of securities held in physical mode.

1. Notarised copy of FIR/ Police Compliant containing information of security holder, holding details, folio number and distinctive numbers of share certificate.

IndiaCode

2. Surety Affidavit of value equal to market value that of shares as on date of execution along with his Proof of identity like Pan Card of sureties duly attested by Notary.

3. Indemnity bond by security holder on a non-judicial stamp paper of requisite value duly attested by Notary Public by the person, in whose name the original share certificate are being issued that he has not sold / disposed off the involved shares or acted in any manner by which any interest of third party would have been created.

4. Copy of advertisement issued in at least one English language national daily newspaper having nationwide circulation and in one regional language daily newspaper published in the place of registered office of company, if the market value of the shares is greater than Rs 10,000.

Schedule IV

Procedure to be followed while disposing the claims

The company shall be responsible for verifying the genuineness and entitlement of the claimant by doing the necessary verification through Aadhar Card, PAN Card, Passport, any other Government ID proof, matching of signature and photo etc. The company shall verify such documents as may be required and enumerated in form IEPF-5 and retain the originals submitted by the claimant. The company shall be responsible to verify the amount and shares involved in the claim according to the e-filings made by it to the Authority. The company shall submit e-verification report to the Authority.

2. "The Authority shall follow following indicative procedures while disposing the claims:

(i) Completeness of all the information provided in Form No. IEPF-5.

(ii) Matching of information in the e-form with the scanned documents attached with the claim.

(iii) Affidavit and other supporting documents viz. Gazette Notification for name change, marriage certificate, other identity proof etc. for change orvariations in name in various documents, share certificates etc.

(iv) Affidavit and other supporting documents for change or variations in address in various documents, share certificates, current address and address recorded in share certificate or Form No. IEPF – 4 or other places.

(v) Indemnity on stamp paper of appropriate value in the name of claimant as per Stamp Act

(vi) Verification of the PAN details of the Claimant with Client Master List (CML) and with the Government data base.

(vii) In case of claim related to physical securities, authentication of scanned copy of the certificate attached with Form No. IEPF-5 e-form by the company.

(viii) Verification and matching of DEMAT Account No., Name of claimant, PAN, Address from the CML.

(ix) Matching of CML of unclaimed suspense account in case the transfer of shares has taken place from the unclaimed suspense account from the company. Verification of transaction statement of the unclaimed suspense account of the company. At any point of time, details of every investor whose shares have been transferred from unclaimed suspense account, may be called from depository

(x) The details of amount due to the claimant are to be verified from e form IEPF-1 or INV-1 or IEPF-1A. In case of non- availability of the data in MCA system, proportionate deductions in the refund amount can be made.".

3. In addition to the above, the authority may seek any other documents, clarification etc. from the claimant or the company as and when required for disposing the claim.

9. In the Principal Rules, for the Forms IEPF-1, IEPF-2, IEPF-4 and IEPF-5, the following Formsshall be substituted, namely:-

FORM NO. IEPF-1

[Pursuant to rule 5(1) of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016]

सत्यमेव जयते

Statement of amounts credited to Investor Education and Protection Fund

Form language o English o Hindi

Refer instruction kit for details.

Note 1 - Please adhere to the 'Process for uploading Investor-wise details' as mentioned on the Acknowledgment, to be generated upon upload of this eForm.

1.(a)*Corporate identity number (CIN) of company/ Bank Corporate Identification number (BCIN)

Pre

(b) Global Location Number (GLN) of company

2. (a) Name of the company/bank

(b) Address of registered office of the company/bank

(c) *Email id of the company/bank

IndiaCode

3.*Amount to be credited to the fund (in Rs.)

4.*Date of transfer of amount to unpaid dividend account of the company

5. *Details of the amount credited to the fund

S. No.	Particulars	Amount (in Rupees)	Date by which amount should have been credited to the fund
(a)	Amount in the unpaid dividend accounts of companies		
(b)	The application money received by companies for allotment of any securities and due for refund		
(c)	Matured deposits with companies		
(d)	Matured debentures with companies		
(e)	Interest accrued on the amounts referred to in clause (b) to (d) above		
	(i)Application money due for refund		
	(ii)Matured deposits with companies		
	(iii)Matured debentures with companies		
(f)	Sale proceeds of fractional shares arising out of issuance of bonus shares, merger and amalgamation		
(g)	Redemption amount of preference shares		
(h)	Grants and donation		
(i)	Others		

	Total		

6. *Financial Year to which the amount relates

Attachments

1. Optional attachments, if any. Attach

List of attachments

Remove attachment

Declaration

I have been authorized by the Board of directors' resolution number* Dated * (DD/MM/YYYY)
to sign and submit this form.

To the best of my knowledge and belief, I declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

IndiaCode

*To be digitally signed by DSC Box

*Designation

*DIN of the director; or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the company secretary; or PAN of Authorized person of the bank

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and section 449 of Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement and false evidence.

Modify Check Form Prescrutiny Submit

This eform has been taken on file maintained by IEPF Authority through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company.

FORM NO.IEPF-1A
[Pursuant to rule 5 (4A)of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016]

सत्यमेव जयते

Statement of amounts credited to Investor Education and Protection Fund

Form language o English o Hindi

Refer instruction kit for details.

Note 1 - Please adhere to the 'Process for uploading Investor-wise details' as mentioned on the Acknowledgment, to be generated upon upload of this eForm.

1.(a)*Corporate identity number (CIN) of company/ Bank Corporate Identification number (BCIN) Pre fill

(b) Global Location Number (GLN) of company

2. (a) Name of the company/bank

(b) Address of registered office of the company/bank

(c) *Email id of the company/bank

3. Form through which payment was done

o Payment made through Form -1 o Payment made through Form 1INV o Others

4. SRN of Form-1/ 1INV Pre fill

(Mandatory if the payment was made electronically)

5. *Challan Number/ Service request number (SRN) in respect of payment made to the fund

6.Date of payment of amount to the fund

7. Amount credited to the fund

8. Mode of payment o Challan payment (cash, cheque, Demand draft) o Online payment

9.*Details of the amount credited to the fund

IndiaCode

S. No.	Particulars	Amount (in Rupees)	Date by which amount should have been credited to the fund
(a)	Amount in the unpaid dividend accounts of companies		
(b)	The application money received by companies for allotment of any securities and due for refund		
(c)	Matured deposits with companies		
(d)	Matured debentures with companies		
(e)	Interest accrued on the amounts referred to in clause (b) to (d) above		
	(i) Application money due for refund		
	(ii) Matured deposits with companies		
	(iii) Matured debentures with companies		
(f)	Sale proceeds of fractional shares arising out of issuance of bonus shares, merger and amalgamation		
(g)	Redemption amount of preference shares		
(h)	Grants and donation		
(i)	Others		
	Total		

10. *Financial Year to which the amount related

Attachments **List of attachments**

1. *Copy of Challan — Attach
2. Optional attachments, if any. — Attach

Remove attachment

Declaration

I have been authorized by the Board of directors' resolution number* Dated * (DD/MM/YYYY) to sign and submit this form.

To the best of my knowledge and belief, I declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

*To be digitally signed by

DSC Box

*Designation

IndiaCode

*DIN of the director; or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the company secretary; or PAN of Authorized person of the bank

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and section 449 of Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement and false evidence.

Modify | Check Form | Prescrutiny | Submit

This eform has been taken on file maintained by IEPF Authority through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company.

FORM NO. IEPF-2

[Pursuant to rule 5 (8) and 7 (2B) of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016]

सत्यमेव जयते

Statement of unclaimed and unpaid amounts and details of Nodal Officer

Form language o English o Hindi

Refer instruction kit for details.

Note 1 - Please adhere to the 'Process for uploading Investor-wise details' as mentioned on the Acknowledgment, to be generated upon upload of this eForm.

Note 2 - All fields marked in * are to be mandatorily filled.

1. Purpose of filing

- ○ Statement of unclaimed and unpaid amounts
- ○ Appointment of Nodal Officer
- ○ Appointment of Deputy Nodal Officer
- ○ Updation of details of Nodal Officer only
- ○ Updation/Cessation of details of Deputy Nodal Officer only

2.(a)*Corporate identity number (CIN) of company/ Bank Corporate Identification number (BCIN) | Pre fill

(b) Global Location Number (GLN) of company

3. (a) Name of the company/bank

(b) Address of registered office of the company/bank

(c) *email id of the company/bank

3A. ***Details of Nodal Officer**

(a) First Name

(b) Middle Name

(c) Last Name

(d) Father's First Name

(e) Father's Middle Name

(f) Father's Last Name

(g) Date of Birth (DD/MM/YYYY)

(h) PAN Verify PAN Details

(i) Designation (j) Gender

(j) Official Postal address

Line I

Line II

City

State Pin code

(k) Phone (With STD/ISD code) (l) Mobile No.

(m) Email ID

(n) Date of Board Resolution

IndiaCode

3B Number of Deputy Nodal Officers

Do you want to cessate the Deputy Nodal Officer?

***Details of Deputy Nodal Officer(s)**

(a) First Name

(b) Middle Name

(c) Last Name

(d) Father's First Name

(e) Father's Middle Name

(f) Father's Last Name Prefill

(g) Date of Birth (DD/MM/YYYY)

(h) PAN Verify PAN Details

(i) Designation

(j) Gender

(j)Official Postal address

Line I

Line II

City

State

Pin code

(k) Phone (With STD/ISD code)

(l)Mobile number

(m) Email ID

(n) Date of Board Resolution

4. (a) *Financial year ended (FY-7)

(b) *Date of annual general meeting (AGM) or (DD/MM/YYYY)

due date whichever is earlier

5. Whether registered with Reserve Bank of India (RBI) Yes ◯ No ◯

6. Number of small shareholders of the company

7. Number of small depositors of the company

IndiaCode

8. **Details of unclaimed and unpaid amounts for previous seven years including current year**

S.No.	Particulars	Unclaimed and unpaid amounts lying with the company separately for each of the last seven financial years							
		FY-1	FY-2	FY-3	FY-4	FY-5	FY-6	FY-7	Total (Auto sum)
1.	Amount in the unpaid dividend accounts of companies								
(a)	No. of Underlying Shares for the Amount in the unpaid dividend accounts of companies								
(b)	Amount refunded by the Company from the unpaid dividend account during the								

	year								
2	The amount received under sub-section (4) of section 38								
3	Amount of application moneys received and due for refund								
4	Amount of matured deposits								
(a)	Amount refunded by the Company from the matured deposits during the year								
5	Amount of matured debentures								
(a)	Amount refunded by the Company from the matured debentures during the year								
6	Interest accrued on the amounts referred to in clause (3) to (5) above								
(i)	Application money due for refund								
(ii)	Matured deposits with companies								
(iii)	Matured debentures with companies								
7	Sale proceeds of fractional shares arising out of issuance of bonus shares, merger and amalgamation,								
8	Redemption amount of preference shares								
9	Others								
	Total (Auto sum)								

IndiaCode

Note: (1) FY-7 is the current financial year as mentioned in 4(a) above

(2) Amount mentioned in FY-1 indicates amount due to be credited to IEPF in next financial year

(3) Amounts are to be given separately for each financial year indicating the amount unclaimed/unpaid as on end of that particular financial year

9. Amount of Dividend declared on shares of the company lying with IEPF during the Financial yearas mentioned in 4(a) above

10. Any other benefits declared (as per rule 6(8)) on shares of the company lying with IEPF during the Financial yearas mentioned in 4(a) above

Attachments **List of attachments**

1. *Board Resolution for appointment of Nodal Officer — Attach
2. Optional attachments, if any — Attach

Remove attachment

Declaration

I have been authorized by the Board of directors' resolution number* Dated * (DD/MM/YYYY) to sign and submit this form.

To the best of my knowledge and belief, I declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

***To be digitally signed by** DSC Box

*Designation

*DIN of the director; or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the secretary; or PAN of Authorized person of the bank

IndiaCode

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and section 449 of Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement and false evidence.

Modify Check Form Prescrutiny Submit

This eForm has been taken on file maintained by the IEPF Authority through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company

FORM NO. IEPF-4

[Pursuant to rule 6(5) and 6(8) of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016]

सत्यमेव जयते

Statement of shares transferred to the Investor Education and Protection Fund

Form language o English o Hindi

Refer instruction kit for details.

Note 1 - Please adhere to the 'Process for uploading Investor-wise details' as mentioned on the Acknowledgment, to be generated upon upload of this eForm.

Note 2 - For each SRN of IEPF-4 different IEPF-4 forms needs to be filed for benefits accruing on shares.

IndiaCode

1.(a) *Corporate identity number (CIN) of company Pre fill

(b) Global Location Number (GLN) of company

2. (a) Name of the company/bank

(b) Address of registered office of the company/bank

(c) *Email id of the company/bank

3. (a) *Total nominal amount of shares transferred to the IEPF account

(b) *Total number of shares transferred Prefill

4. Purpose of filing

1. SRN of form IEPF-1/1-INV/IEPF-4
2. Date of Declaration of benefits accruing on Shares Transferred to IEPF.
3. Date of Corporate Action to Demat account of IEPF Authority.

4. *Financial Year to which the amount relates

Attachments **List of attachments**

1.*Copy of Newspaper advertisement Attach

2. Optional attachments, if any. Attach

Declaration

I have been authorized by the Board of directors' resolution number* Dated * (DD/MM/YYYY)

to sign and submit this form.

To the best of my knowledge and belief, I declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

*To be digitally signed by DSC Box

*Designation

*DIN of the director; or Income-tax permanent account number of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the secretary

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and section 449 of Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement and false evidence.

Modify Check Form Prescrutiny Submit

This eform has been taken on file maintained by IEPF Authority through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company".

IndiaCode

FORM NO. IEPF-5

[Pursuant to sub-section (3) of section 125 of the Companies Act, 2013 and rule 7(1)of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016]

सत्यमेव जयते

Application to the Authority for claiming unpaid amounts and shares out of Investor Education and Protection Fund (IEPF)

1. Particulars of the applicant

(a) *Category of the applicant Individual Others

(b) *FirstName

(c) Middle Name

(d) *Last Name

(e) *Father's First Name

(f) Father's Middle Name

(g) *Father's Last Name

(h) *Date of Birth

(i) *Name of Entity

(j) *Date of Incorporation

(k) *Address of the applicant

(l) Phone number -

(m) *Mobile Number **Send OTP**

(n) *Email ID

(o) Enter OTP for Mobile number **Verify OTP**

(p) Enter OTP for Email ID

(q) *Aadhaar Number or Passport/OCI/PIO Card No. (in case of NRI/foreigners)

(r) *PAN of applicant **Verify PAN Detail**

IndiaCode

2. Particulars of the Company from which the amount is due

(a) *Corporate identity number (CIN) of company **Pre-fill**

(b) Name of the company

(c) Address of registered office of the company

(d) Email id of the company

3. Is it a case covered under rule 7 (8) & 7(9) of IEPF Rules, 2016 Yes ○ No ○

(a) Name of original security holder

(b) Relation of claimant with security holder

(c) Number of Nominee/Legal heirs/Successors/ Administrator/ Others holders.

Name of Beneficiary
i.
ii.
iii.

IndiaCode

4. Type of Claim

O Amount O Amount and Shares

5. Details of shares claimed (More than one Folio for one company can be added)

Number of Folio

Type of holding	Folio No./ Complete Demat Account Number from which transfer has been made to IEPF	Type of share	Number of shares
	Folio No. Demat A/c		

6. Claim Details

*Number of claims

Year wise details of securities / deposits for which the amount is claimed

Type of Claim	Type of holding	Folio No./Complete Demat account number from which transfer has been made to IEPF	Amount of the claim	Financial Year to which claim relates	Reason
		Folio Demat A/c	Principle Interest		

IndiaCode

7. Refund Account Details

Details of Bank account in which refund shall be credited

Bank account number | Bank Name | IFSC Code | Bank Branch

Demat account number in which shares shall be credited

8 (a) *Copy of Aadhaar Card of the claimant and if joint holders are there, copy of Aadhar card of all joint holders Browse

(b) *Copy of Passport, OCI and PIO card in case of foreigners and NRI Browse

(c) *Client Master List of De-mat A/c of the claimant Browse

(d)*Proof of entitlement (Bonds/Debentures/Fixed Deposit receipts/ Certificate of share/Interest warrant/Dividend warrant, Application No./Statement of transaction etc.) Brows

(e) Notarised Copy of death certificate Browse

(f) Notarised Succession Certificate/Probate/will Browse

(g) No Objection Certificate from Other holder Browse

(h) Indemnity Bond, duly notarised. Browse

(i) Affidavit in form of surety. Browse

(j) Others Browse

Declaration

I declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I further declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

I declare that I have not claimed/ will not claim, the shares and/or amount claimed under the same folio and/or for same financial year on any earlier occasion for this company.

☐ I understand that I, am the claimant and after filing the refund claim in this form online, shall send the attachments prescribed below to Nodal Officer (IEPF) of the company at its registered office in an envelope marked "claim for refund from IEPF Authority" for initiating the verification for claim

1. Print out of duly filled claim form with claimant signature and if joint holders are involved than the Form should be signed by all the joint holders along with annexures submitted with form
2. Copy of acknowledgement generated after uploading the claim Form IEPF 5.
3. Copy of Indemnity Bond (original) auto generated after uploading the claim Form IEPF 5 with claimant signature and proof of payment of applicable stamp duty (Refer Help Kit for Stamp Duty Details).
4. In case of refund of matured deposit or debenture or bond or where shares (in physical form) are claimed, original certificate/shares thereto.
5. Original Cancelled Cheque leaf.
6. In case any Joint holder is deceased, Copy of Death certificate to be attached.
7. Other optional documents, (if any)

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 of Companies Act, 2013 which states that-

"Save as otherwise provided in this Act, if in any return, report, certificate, financial statement, prospectus, statement or other document required by, or for, the purposes of any of the provisions of this Act or the rules made thereunder, any person makes a statement,-

(a) which is false in any material particulars, knowing it to be false; or

(b) which omits any material fact, knowing it to be material, he shall be liable under section 447."

Submit

[F. No. 05/02/2019-IEPF]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 854 (E), dated the 5th September, 2016 and amended vide notification number G.S.R. 178(E) dated 28th February, 2017, G.S.R.1267 (E) dated 13th October, 2017, G.S.R. 472 (E) dated 22.05.2018 and G.S.R. 343(E) dated 1st May, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.08.17 11:26:36 +05'30'